पावरग्रिड POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

पत्रांक: उक्षेपाप्र-3/जेजेबी/एफ०सी०/ 1309

दिनांक: 07/04/2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इंदिरा नगर,
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

विषय: जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट जौलजीबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीबी में 400 के०वी० डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु 58.449 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/TRANS/35527/2018) – परियोजना की विधिवत स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में

संदर्भ: आपका पत्र सं० 2281/FP/UK/TRANS/35527/2018, दिनाँक 04/03/2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षीय अनुरक्षण हेतु जमा की गयी धनराशि ₹ 3,58,32,860/- (रुपया तीन करोड अठ्ठावन लाख बत्तीस हजार आठ सौ साठ मात्र) के प्राक्कलन की प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस पत्र के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षीय अनुरक्षण का प्राक्कलन 03 प्रतियों में संलग्न करके आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट जौलजीबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीबी में 400 के०वी० डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु 58.449 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

संदीप
07/04/2021
(संदीप कोठारी)
मुख्यप्रबन्धक, जौलजीबी

प्रतिलिपि:

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय प्रति।

संदीप
07/04/2021
(संदीप कोठारी)
मुख्यप्रबन्धक, जौलजीबी

पत्रांक: उक्षेपाप्र-3/जेजेबी/ 704

दिनांक: 18/11/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़ ।

विषय: जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट जौलजीबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीबी में 400 के०वी० डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु 58.449 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/TRANS/35527/2018) – कार्य की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में

संदर्भ: आपका पत्र सं० 1638/12-1, दिनाँक 04/11/2019

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करें । पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० द्वारा डिमाण्ड नोट की कुल धनराशि ₹ 10,61,78,403/- (रुपया दस करोड एकसठ लाख अड़हत्तर हजार तैतालीस मात्र) की धनराशि चालान सं० 6435527988 (प्रति संलग्न) के अनुसार उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं० 150896435527988 (आई०एफ०एस०सी० कोड CORP0000371) में दिनाँक 13/11/2019 को आर०टी०जी०एस० सं० ICICR22019111300453008/UTTARANCHALC के द्वारा जमा कर दी गयी है ।

महोदय से अनुरोध है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को वन भूमि में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें । पावरग्रिड द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

18/11/2019
(संदीप कोठारी)
मुख्यप्रबन्धक

संलग्नक:
चालान सं० 6435527988, दिनाँक 07/11/2019

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 07-11-2019

Agency Name.	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
Application No.	6435527988
MoEF/SG File No.	8B/UCP/07/147/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	400/220 kV GIS, Vill. & PO Bagrihat, Jauljibi, DisPithoragarh
Amount(in Rs)	106178043/-

Amount in Words :Ten Crore Sixty-One Lakh Seventy-Eight Thousand and Forty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896435527988 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
- **This challan is valid only for seven days.**

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 07-11-2019

Agency Name.	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
Application No.	6435527988
MoEF/SG File No.	8B/UCP/07/147/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	400/220 kV GIS, Vill. & PO Bagrihat, Jauljibi, Dis Pithoragarh
Amount(in Rs)	106178043/-

Amount in Words :Ten Crore Sixty-One Lakh Seventy-Eight Thousand and Forty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896435527988 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
- **This challan is valid only for seven days.**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Payment of ₹ 10,61,78,043/- has been done vide RTGS on 13/11/2019.

18/11/2019

संदीप कोठारी / Sandeep Kothari
मुख्य प्रबन्धक / Chief Manager
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
जौलजीबी, पिथौरागढ़ / Jauljibi, Pithoragarh

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉक 1638 / 12—1 दिनांक, पिथौरागढ़, 04 नवम्बर, 2019।

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक,
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0,
जौलजीवी, पिथौरागढ़।

विषयः— जनपद—पिथौरागढ़ के अर्न्तगत 220 के0वी0 डबल सर्किट जौलजिबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजिबी में 400 के0वी0 डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु 58.499 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 को 30 वर्षो हेतु लीज पर प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— आपकी पत्र सं0—682 दिनांक 04—11—2019 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 07 / 147 / 2018 / एफ0सी0 / 1727 दि0 31—10—2019।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संदर्भित आदेश एवं सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं01,2,3 उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	क्षतिपूरक	116.898 हे0	3,06,531 / —	3,58,32,860 / —
2	एन0पी0वी0	58.449 हे0	8,97,000 / —(ईको क्लास VI) घनत्व 0.4	5,24,28,753 / —
3	बौनी प्रजाति का रोपण	58.449 हे0	3,06,531 / —	1,79,16,430 / —

कृपया उक्त डिमान्ड नोट आन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

146

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः–2281 FP/UK/TRANS/35527/2018 दिनॉकःदेहरादून 5 मार्च, 2021

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
पावर ग्रेड कॉरपोरेशन आफ
इण्डिया लि0 जौलजीवी,
जिला पिथौरागढ।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ के अन्तर्गत 220 के0बी0 सार्कट जौलजीवी पिथौरागढ के पारेषण लाईन तथा जौलजीवी में 400 के0वी0 डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु 58.449 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 को 30 वर्षो हेतु लीज पर प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। FP/UK/TRANS/35527/2018

सन्दर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ के पत्रांक 1638/12–1 दिनांक 04.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रांक के क्रम में अवगत कराना है, कि आपके द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है किन्तु प्र0व0अ0 द्वारा दिये गये डिमान्ड ड्राफट के अनुसार आपके द्वारा सी0ए0 क्षेत्र के अनुसार जमा की गयी धनराशी का 10 वर्षीय प्राकलन 3,58,32860 रू0 का सैद्वान्तिक स्वीकृति के साथ जमा नहीं किया गया है।

अतः आप अतिशीघ्र उक्त धनराशी का सी0ए0 प्राक्कलन 03 प्रतियों में इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि समयानुसार सैद्धान्तिक स्वीकुति की अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

for
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या–2281 / FP/UK/TRANS/35527/2018 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौरागढ को आवश्यक कार्य हेतु सूचनार्थ।

for
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

वृक्षारोपण प्राकलन

220 **के०वी० डबल सर्किट पिथोरागढ़ से जौलाजीबी और** 400 **के०वी० डबल सर्किट धौलीगंगा से बरेली लाईन का जौलाजीबी में ली०लो० के निर्माण का कार्य** हेतु 116.898 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु क्षतिपूरक **वृक्षारोपण** प्राक्कलन

वृक्षारोपण क्षेत्र 116.898 हे0

क0 सं0	विवरण	संख्या	नपत (मी0 में) ल0	चौ0	ऊँ0	मात्रा हे0/घ0मी0 में	दर	धनराशि (रू0)
	वृक्षारोपण क्षेत्र	क्षेत्रफल 116.898 हे0						
1	सर्वेक्षण सीमांकन	6				116.898	147.00	17184.01
2	लैन्टेना कालाबांसा गाजर घास को जड से उखाडना कार्य	116.898h				116.898	8581.00	1003101.74
3	लौटेना कालाबांसा गाजर घास झाडी को क्षेत्र से बाहर करना	116.898h				116.898	2860.00	334328.28
4	दीवालबन्दी कार्य	20	20123	0.45	1	9055.35	515.00	4663505.25
5	पौध उगाना 30 प्रतिशत अधिक 233796+70139= 303935					303935	10.45	3176118.66
6	गड्ढे खुदान कार्य	1	0.3	0.3	0.45	233796	11.14	2604487.44
7	निरीक्षण बटिया	116.898h				116.898	737.00	86153.83
8	प्रवेश सीढ़ी	30				30	1006.00	30180.00
9	अन्य व्यय	116.898h				116.898	400.00	46759.20
10	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	116.898h				116.898	11700.00	1367706.60
	योग							**13329525.00**
	द्वितीय चरण							
1	गड्ढे भरान कार्य	1	0.3	0.3	0.45	233796	1.75	409143.00
2	पौध ढुलान 10 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य 303935 पौध 25 किमी0 वाहन व 3.0 किमी0 सिरबोझ औसत मय वाहन लदाई	116.898h				116.898	19400	2267821.20
3	पौधारोपण कार्य	233730				233796	3.13	731781.48
4	निराई गुडाई मल्चिंग कार्य 2 बार	233730X2				467592	1.15	537730.80
5	अन्य व्यय जैसे टोकरी खरीद साइन बोर्ड, फोटोग्राफी आदि	116.898h				116.898	700	81828.60
6	अनुरक्षण पर व्यय (8 माह)	116.898h				116.898	7235	845757.03
	6.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास,फसा एवं ज्वलनशील पदार्थे को हटाना	116.898h				116.898	350	40914.30
	6.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	116.898h				116.898	225	26302.05
	6.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा एवं जागरुपता हेतु प्रशिक्षण एवं प्रेात्साहन (अ. प्रशिक्षण)	116.898h				116.898	400	46759.20
	ब. प्रोत्साहन	116.898h				116.898	400	46759.20
7	रसायनिक खाद एवं दवा पर व्यय	116.898h				116.898	6.4	748.15
	सीड कय वर्ष में 2–3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यो का प्रचार–प्रसार एवं डाक्यूमेन्टेशन प्रथम व द्वितीय वर्ष के व्यय 394622+151185.3= 545807.3 का 5%							27300.00
							योग	**5062845.01**

रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का अनुरक्षण पर व्यय

क0 सं0	विवरण	संख्या	नपत (मी0 में) ल0	चौ0	ऊँ0	मात्रा हे0 मे	दर	
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का अनुरक्षण पर व्यय (12 माह)	116.898h				116.898	9043.3	1057143.683
2	2.1वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास,फसा एवं ज्वलनशील पदार्थे को हटाना	116.898h				116.898	350	40914.300
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	116.898h				116.898	225	26302.050
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा एवं जागरुपता हेतु प्रशिक्षण एवं प्रेात्साहन (अ. प्रशिक्षण)	116.898h				116.898	400	46759.200
	ब. प्रोत्साहन	116.898h				116.898	400	46759.200
	योग							**1217878.433**

रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष से दशम वर्ष का अनुरक्षण पर व्यय

क0 सं0	विवरण	संख्या	नपत (मी0 में) ल0	चौ0	ऊँ0	मात्रा हे0 में	दर	धनराशि (रू0)
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का अनुरक्षण पर व्यय (12 माह)	116.898h				116.898	9043.3	9514293.151
2	2.1वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास,फसा एवं ज्वलनशील पदार्थे को हटाना	116.898h				116.898	350	368228.7
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	116.898h				116.898	225	236718.45
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा एवं जागरुपता हेतु प्रशिक्षण एवं प्रेात्साहन (अ. प्रशिक्षण)	116.898h				116.898	400	420832.8
	ब. प्रोत्साहन	116.898h				116.898	400	420832.8
	दीवाल मरम्मत कार्य	1.00				1955.2977	299	5261706.111
	योग							**16222612.01**

कुल योग	**35832860.45**
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल व्यय प्रति हे०	**306530.9967**
परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	**116.898**
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि	**35832860.45**

259857X116.898

Rs. 35832860

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

ह० वनाधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
अस्कोट

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉक 2832/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 01 फरवरी, 2021।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं,
नोडल अधिकारी वन संरक्षण
इन्द्रानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के0वी0 डबल सर्किट जौलजीबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीबी में 400 के0वी0 डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु 58.449 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 1253/ FP/UK/TRANS/35527/2018 दिनांक 27–10–2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त परियोजना हेतु क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रदान की गयी सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण कर शर्त संख्या–01 की अनुपालन आख्या तीन हार्ड प्रतियों में मूल प्रति सहित संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(संलग्नः–यथोपरि)

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या / दिनॉकित ।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, जौलजीबी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड (देहरादून)
04 JAN 2021
प्राप्त किया ह0

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

पत्रांक: उक्षेपाप्र-3/जेजेबी/एफ०सी०/ 1296

दिनांक: 22/03/2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इंदिरा नगर,
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

विषय: जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट जौलजीबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीबी में 400 के०वी० डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु 58.449 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/TRANS/35527/2018) – परियोजना की विधिवत स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में

संदर्भ: भारत सरकार, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर – मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र संदर्भ सं० 08बी/यू०सी०पी०/07/147/2018/एफ०सी०/1727, दिनाँक 31/10/2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर – मध्य क्षेत्र), देहरादून के संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट जौलजीबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीबी में 400 के०वी० डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु 58.449 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अपने आदेश संदर्भ सं० 756/ सात – 03/ 2020-21, दिनाँक 28/01/2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट जौलजीबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीबी में 400 के०वी० डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु ली जा रही 58.449 है० वन भूमि के बदले 116.898 है० सिविल भूमि का हस्तान्तरण / नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित भूमि का प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित डिजिटल मैप दो प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न करके आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड (देहरादून)
24-3-21
प्राप्त किया

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
22/03/2021
(संदीप कोठारी)
मुख्यप्रबन्धक, जौलजीबी

प्रतिलिपि:

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय प्रति।

(संदीप कोठारी)
मुख्यप्रबन्धक, जौलजीबी

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./07/147/2018/एफ.सी./1727 दिनांक 31.10.2019 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत 220 के.वी. सर्किट जौलजीबी–पिथौरागढ़ परेषण लाईन हेतु ली जा रही 58.449 है0 वन भूमि के बदले 116.898 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत 220 के.वी. सर्किट जौलजीबी–पिथौरागढ़ परेषण लाईन हेतु ली जा रही 58.449 है0 वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी, डीडीहाट् की आख्या/सहमति के आधार पर ग्राम भेलिया पट्टी बगड़ीहाट तहसील डीडीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–21 श्रेणी–09(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के कुल 11 खेतों की 14.627 है0, श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के कुल 04 खेतों की 5.789 है0, ग्राम सांवलीसेरा पट्टी बगड़ीहाट तहसील डीडीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–16 श्रेणी–09(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के कुल 07 खेतों की 10.677 है0, ग्राम डोकुना पट्टी गर्खा तहसील डीडीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–06 श्रेणी–09(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के कुल 14 खेतों की 11.665 है0, ग्राम डांगटी पट्टी गर्खा तहसील डीडीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–03 श्रेणी–09(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के कुल 16 खेतों की 21.677 है0, ग्राम घिंघरानी पट्टी बगड़ीहाट तहसील डीडीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–06 श्रेणी–09(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के कुल 06 खेतों की 12.456 है0, ग्राम चमतोली पट्टी बगड़ीहाट तहसील डीडीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–03 श्रेणी–09(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के कुल 06 खेतों की 21.304 है0 तथा ग्राम सिलौनी पट्टी बगड़ीहाट तहसील डीडीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–31 श्रेणी–09(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के कुल 10 खेतों की 18.703 है0 कुल 05 ग्रामों के 74 खेतों की 116.898 है0 (संलग्न खसरे के अनुसार) सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, डीडीहाट स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जनवरी 28, 2021

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 756 /सात– 03 /2020–21 दिनांक जनवरी 28, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी डीडीहाट्।
4. तहसीलदार डीडीहाट् को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड जौलजीबी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

28/01/21.

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/TRANS/35527/2018 योजना जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत 220 के0वी0 डबल सर्किट पिथौरागढ़ से जौलजीबी और 400 के00वी0 डबल सर्किट धौलीगंगा–बरेली लाईन का जौलजीबी में ली0लो0 के निमार्ण कार्य हेतु 58.449 है0 वन भूमि का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0 को प्रत्यावर्तन के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त 116.898 है0 सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक 756/सात–03/2020–21 दिनांक 28 जनवरी 2021 से हस्तान्तरित/आवंटित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़

कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड अल्मोड़ा

पत्रांक 2990 / 12-1-(2) **दिनांक** 30-1-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा

डिजिटल मैप :–जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ से जौलजीबी पारेषण लाईन और धौलीगंगा–बरेली पारेषण लाईन के क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल हेतु (क्षेत्रफल 116.898 है0)

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

Legend

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Division Boundary
- Proposed CA Land

15/03/2021

(संदीप कोठारी)
मुख्य प्रबंधक
पावरग्रिड, जौलजीबी

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांकः 1253/FP/UK/TRANS/35527/2018 दिनॉकःदेहरादूनः 27 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय– जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के0वी0 डबल सर्किट जौलजीवी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीवी में 400 के0वी0 डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु 58.449 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–1. भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./07/147/2018/एफ.सी./1727 दिनांक 31–10–2019
2. आपका पत्रांक–4271/12–1 दिनांक 23–06–2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आपके पत्रांक–4271/12–1 दिनांक 23–06–2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित की गई है। जिसमें शर्त संख्या–1 के अनुपालन में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि सिविल सोयम भूमि वन भूमि है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस वन भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग के पास है। अतः इसका हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में होना है। भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त शर्त संख्या–1 के अनुसार अनुपालन आख्या में जो सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामान्तरण किया जाना है उसे सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्रमवार हस्तान्तरण/नामान्तरण/म्यूटेशन करवाकर बिन्दुवार आख्या तीन हार्ड प्रतियों में मूल प्रति सहित इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भारत सरकार को लिखा जा सके।

भवदीय,

27/10/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षकएवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/TRANS/35527/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, जोलजीवी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षकएवं नोडल अधिकारी

R.N. 4249/12-1 दि0 26-11-2020

प्रतिलिपि – मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, जौलजीवी पिथौरागढ़ को उपरोक्तानुसार सिविल सोयम वन भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण/म्यूटेशन करवाकर बिन्दुवार आख्या तीन हार्ड प्रतियों में मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

पत्रांक: उक्षेपाप्र-3/जेजेबी/एफ०सी०/ 780

दिनांक: 30/01/2020

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़ ।

विषय: जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट जौलजीबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीबी में 400 के०वी० डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु 58.449 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/TRANS/35527/2018) – परियोजना की विधिवत स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में

संदर्भ: भारत सरकार, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर – मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र संदर्भ सं० 08बी/यू०सी०पी०/07/147/2018/एफ०सी०/1727, दिनाँक 31/10/2019
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र सं० 1181/FP/UK/TRANS/35527/2018, दिनाँक 01/11/2019
अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० 1167(1)/X-4-19/1(213)/2018, दिनाँक 28/11/2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर – मध्य क्षेत्र), देहरादून, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून तथा अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिनके माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट जौलजीबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीबी में 400 के०वी० डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो लाईन के निर्माण हेतु 58.449 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है :

1. शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 116.865 है० (घिंघरानी 12.456 है०, सलोनी 18.703 है०, साँवलीसेरा 10.667 है०, भेलिया 20.415 है०, डोकुना 11.665 है०, डाँगटी 21.645 है०, चमतोली 21.304 है०) पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जायेगी । उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है । अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा । वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा अपने आदेश (WPMS No. 2764 of 2011) दिनाँक 26/10/2017 के द्वारा उक्त भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया गया है (माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश की प्रति संलग्न है) । अतः उक्त भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कराने की कोई आवश्यक्ता नहीं है । उक्त भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 3,58,32,860/- दिनाँक 13/11/2019 को आर०टी०जी०एस० सं० ICICR22019111300453008/UTTARANCHALC के द्वारा जमा कर दी गयी है (चालान की प्रति संलग्न है)।
2. शर्त संख्या 02 के अनुपालन में ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है । प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 116.865 है० वन भूमि को माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आदेश दिनाँक 26/10/2017 के द्वारा संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है ।

क्रमशः पृष्ठ – 2

3. शर्त सं० 03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पैटिशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-556 एवं भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० , दिनाँक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी । कृपया शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) हेतु आवश्यक धनराशि जमा किये जाने हेतु डिमाण्ड नोट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।
4. शर्त संख्या 04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के नीचे RoW के अंदर जहाँ-जहाँ सम्भव हो, बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवं 7-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जायेगी । पारेषण लाईन के अंतर्गत बौनी प्रजाति के वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 1,79,16,430/- दिनाँक 13/11/2019 को आर०टी०जी०एस० सं० ICICR22019111300453008/UTTARANCHALC के द्वारा जमा कर दी गयी है ।
5. शर्त सं० 05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध होगा कि यदि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० द्वारा वन विभाग के पक्ष में बढ़ी हुई अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी (बढ़ी हुई धनराशि जमा कराने का प्रमाण पत्र / वचनबद्धता संलग्न है) ।
6. शर्त सं० 06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर – मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र संदर्भ सं० 08बी/यू०सी०पी०/07/147/2018/एफ०सी०/1727, दिनाँक 31/10/2019 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०), क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा बौनी प्रजाति के वृक्षों के वृक्षारोपण की कुल धनराशि ₹ 10,61,78,403/- (रुपया दस करोड एकसठ लाख अड़हत्तर हजार तैतालीस मात्र) की धनराशि ऑनलाईन वैब पोर्टल पर चालान सं० 6435527988 के अनुसार उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं० 150896435527988 (आई०एफ०एस०सी० कोड CORP0000371) में दिनाँक 13/11/2019 को आर०टी०जी०एस० सं० ICICR22019111300453008/UTTARANCHALC के द्वारा जमा कर दी गयी है (चालान की प्रति संलग्न है)।
7. शर्त सं० 07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम वृक्षों का कटान / पातन किया जायेगा, जिनकी सं० कुल 706 वृक्षों से अधिक नहीं होगी ।
8. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्त सं० 01 से 16 के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध होगा ।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त विधिवत स्वीकृति में दी गयी समस्त शर्तों का संतोषजनक अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जाता है तो सैद्धान्तिक स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है ।

अतः महोदय से अनुरोध है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

(एन० एस० लसपाल)
वरि० उपमहाप्रबन्धक

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

31.1.2020

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/07/147/2018/एफ0सी0/1727 दिनांकः 31/10/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – पिथौरागढ़ के अंतर्गत 220 के0वी0 डबल सर्किट लाईन व जौलजीबी में धौनीगंगा से बरेली 400 के0बी0 डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 58.449 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लि0 को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1232/x-4-18/1(213)/2018 दिनांक 06.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/TRANS/35527/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 22, अगस्त 2019 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार – **जनपद – पिथौरागढ़ के अंतर्गत 220 के0वी0 डबल सर्किट लाईन व जौलजीबी में धौनीगंगा से बरेली 400 के0बी0 डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 58.449 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लि0 को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध मे** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 116.865 है0 (घिघरानी 12.456 हे0, सलोनी 18.703 हे0, सॉवलीसेरा 10.667 हे0, भेलिया 20.415 हे0, डोकुना 11.665 हे0, डॉगटी 21.645 हे0, चमतोली 21.304 हे0) प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के नीचे, RoW के अंदर जहॉ–जहॉ संभव हो, बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवम् 7–10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
7. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार कुल 706 वृक्षों से अधिक न हो।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. Below each conductor or conductor bundle, 3m width clearance would be permitted for stringing purpose within the approved RoW.
4. The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, natural regeneration will be allowed to come up. Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer, wherever necessary, to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.
5. During construction of transmission line, pollarding/pruning of trees located outside the above width of the strips, whose branches/parts infringe with conductor stringing, shall be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer.
6. Pruning of trees for taking construction/stringing equipments through existing approach/access routes in forest areas shall also be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer. Construction of new approach/access route will however, require prior approval under the Act.
7. In the remaining width of right of way trees will be felled or lopped within the RoW to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining minimum 5.5 m clearance between conductor and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out this minimum clearance.
8. In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees will not be cut except those minimum required to be cut for stringing of conductors.
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
11. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
12. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Pillar no., Forward तथा Back bearing तथा distance between pillars भी अंकित किया जाएगा।
14. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
15. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
16. ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवम् वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)